



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:7101

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

रिट-ए संख्या - 4322/2024

धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं 3 अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अमितेश प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: ए.एस.जी.आई., वरुण पांडे

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

न्यायालय संख्या-7

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आकार श्रीवास्तव और विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे के ब्रीफ होल्डर सुश्री शिवांगी वर्मा को सुना गया।

2. याचिका दायर कर आरटीजेसीओ के पद पर भर्ती के लिए याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता पर पुनर्विचार करने और उसकी योग्यता के संबंध में निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देने की मांग की गई है।

3. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त पद पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन भर्ती वर्ष 2023-24 में जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशंड अधिकारी (आरटीजेसीओ) के पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने लिखित परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया जिसके बाद उन्होंने शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण के साथ-साथ अन्य चिकित्सा मानदंडों को भी पूरा किया।

4. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता विज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री/आचार्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के साथ गोरखा रेजिमेंट हिंदू उम्मीदवार के लिए आरटी पंडित और पंडित (गोरखा) के रूप में इंगित की गई है। इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति के पास शास्त्री/आचार्य के दौरान मुख्य/पाठ्यक्रम विषयों में से एक के रूप में 'कर्म कांड' की योग्यता होनी चाहिए या 'कर्म कांड' में एक साल का डिप्लोमा होना चाहिए।

5. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास 'कर्म कांड' में डिप्लोमा है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर स्पष्ट रूप से इस तथ्य के मददेनजर विचार नहीं किया गया है कि विपक्षी पक्ष संस्कृत की स्नातकोत्तर डिग्री, जो याचिकाकर्ता की योग्यता है, को शास्त्री/आचार्य की संस्कृत की डिग्री के समकक्ष मानने से इनकार करते हैं।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी 5 जुलाई 2014 की अधिसूचना, जो डिग्री के विशिष्टीकरण से संबंधित है, का हवाला दिया है, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर डिग्री के व्यापक विषयवार नामकरण को अधिसूचना की तिथि से पुनर्गठित किया गया है, जैसा कि यूजीसी विनियमों द्वारा शासित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से उपरोक्त अधिसूचना के मद 120 का उल्लेख करते हुए बताया है कि आचार्य की डिग्री को संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने रामपलित व्याकरण आचार्य और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और अन्य, एआईआर 1975 सर्वोच्च न्यायालय 2478 वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय पर भी भरोसा जताया है, यह साबित करने के लिए कि उक्त निर्णय में भारत सरकार द्वारा जारी 23 जनवरी 1964 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है, जिसमें आचार्य की उपाधि को संस्कृत में स्नातकोत्तर के समकक्ष बताया गया है।

8. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रति-शपथपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का खंडन करते हुए कहा है कि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि याचिकाकर्ता के पास आरटीजेसीओ पद के लिए निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि उनके पास संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री और कर्मकांड में डिप्लोमा है, जो संस्कृत में शास्त्री/आचार्य की योग्यता के न तो समकक्ष है और न ही स्वीकार्य विकल्प है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि विज्ञापन में निर्धारित योग्यताएं सर्वोपरि हैं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और 5 जुलाई 2014 की अधिसूचना वास्तव में आचार्य की डिग्री को संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री के समकक्ष नहीं मानती है, क्योंकि उपरोक्त पुनर्गठन संस्कृत से संबंधित डिग्रियों के संबंध में है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिफाना पी.एस. बनाम केरल राज्य और अन्य, सिविल अपील संख्या 4468/2013; ज़हूर अहमद राथर और अन्य बनाम शेख इम्तियाज़ अहमद और अन्य, सिविल अपील संख्या 11853-11854/2018 और अन्य संबंधित वादों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है, साथ ही इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सौरभ सक्सेना बनाम भारत संघ, विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 10/2025 के वाद में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा जताया है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और सामग्री एवं अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि आरटीजेसीओ के पद पर भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता निम्न है:-

"गोरखा रेजिमेंट के लिए आरटी पंडित और पंडित (गोरखा) यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री/आचार्य की उपाधि प्राप्त हिंदू उम्मीदवार। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति के पास निम्नलिखित धार्मिक योग्यता होनी चाहिए:-

शास्त्री/आचार्य के दौरान 'कर्म कांड' मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए।
या
कर्म कांड में एक वर्षीय डिप्लोमा।"

11. पक्षकारों ने स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्री/आचार्य की डिग्री को छोड़कर, याचिकाकर्ता उपर्युक्त पद के लिए अन्यथा योग्य है।

12. अतः विवाद याचिकाकर्ता की सेना में धार्मिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने से संबंधित है, यदि उनकी संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री को संस्कृत में आचार्य की डिग्री के समकक्ष माना जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. उपरोक्त उल्लेखित पहलुओं से यह भी स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2014 को जारी अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, डिग्रियों के विनिर्देशन से संबंधित है, जो उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर डिग्रियों का एक व्यापक विषय-वार नामकरण है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा ऐसी डिग्रियों के अनुदान के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। अधिसूचना में निर्दिष्ट है कि कुछ संस्थानों में उस समय प्रचलित डिग्रियों का नामकरण न तो पारंपरिक पाया गया और न ही ज्ञान के क्षेत्र में कैरियर नवाचार को प्रतिबिंबित करता था, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया और इसे पुनर्गठित/परिवर्तित किया जाएगा।

14. उक्त अनुशंसा के अनुसरण में ही यह अधिसूचना जारी की गई थी। दिनांक 5 जुलाई 2014 की उपरोक्त अधिसूचना का मद 120 संस्कृत से मिलते-जुलते उपाधियों से संबंधित है और इसमें आचार्य की उपाधि को दो वर्ष की न्यूनतम अवधि वाले स्नातकोत्तर डिग्री के रूप में पुनर्गठित किए जाने का उल्लेख है, जिसके लिए प्रवेश योग्यता स्नातक है।

15. उपरोक्त पहलू से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री प्रदान करने के संबंध में, आचार्य की निर्दिष्ट डिग्री को वर्ष 2014 में स्नातकोत्तर डिग्री के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

16. आचार्य की उपाधि को एम.ए. की उपाधि के समतुल्य मानने से संबंधित उपरोक्त पहलू पर सर्वोच्च न्यायालय ने रामपलित व्याकरण आचार्य (पूर्वोक्त) वाद में निम्नलिखित ढंग से विचार किया है:-

"8. आचार्य की उपाधि एम.ए. के समकक्ष है, यह बात भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ. 46-1/63-एसयू दिनांक 23 जनवरी, 1964 से स्पष्ट है, जो सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों/प्रशासनों के शिक्षा सचिवों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को संबोधित था, जिसमें संस्कृत परीक्षाओं की समकक्षता के विषय पर संलग्न विवरण दिया गया है। इस विवरण के स्तंभ 1 में प्रविष्टि 21 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ का उल्लेख है, जहां शास्त्री की उपाधि बी.ए. के समकक्ष और आचार्य की उपाधि एम.ए. के समकक्ष बताई गई है। शिक्षा मंत्रालय के पत्र से यह ध्यान देने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



योग्य है कि सरकार देश में संस्कृत के विकास के प्रति उत्सुक है और उसने सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि वे कम से कम एक पारंपरिक संस्कृत विद्वान को नियुक्त करें और नियुक्त विद्वान को आधुनिक शिक्षा प्राप्त समकक्षों के समान दर्जा और वेतनमान प्राप्त हो। पत्र में आगे कहा गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों/विद्यापीठों में पारंपरिक संस्कृत पंडितों की नियुक्ति को भी उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नियुक्त शिक्षकों को सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में समकक्ष योग्यता रखने वाले अन्य शिक्षकों के समान माना जाना चाहिए।"

17. उपरोक्त चर्चा किए गए कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि 5 जुलाई 2014 की अधिसूचना के बाद, आचार्य की निर्दिष्ट डिग्री को अब पुनर्गठित किया गया है और इसका नाम बदलकर स्नातकोत्तर संस्कृत कर दिया गया है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध सभी विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया जाएगा।

18. इससे पहले भी, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 जनवरी 1964 की अधिसूचना के अनुसार, आचार्य की उपाधि को एम.ए. के समकक्ष माना गया है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने रामपलित व्याकरण आचार्य (पूर्वोक्त) वाद में स्पष्ट रूप से कहा है।

19. विपक्षीयता के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के संबंध में, प्रति-हल के अनुच्छेद 14 में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास संस्कृत में एम.ए. की डिग्री और 'कर्मकांड' का डिप्लोमा है। हालांकि, संस्कृत में एम.ए. की यह डिग्री न तो संस्कृत में शास्त्री/आचार्य की योग्यता के समकक्ष मानी गई है और न ही उसके लिए मान्य विकल्प है।

20. उपरोक्त चर्चा के आलोक में यह स्पष्ट है कि 2014 से पूर्व भी, केंद्र सरकार द्वारा जारी 23 जनवरी 1964 की अधिसूचना के अनुसार, आचार्य की उपाधि को संस्कृत में एम.ए. के समकक्ष माना जाता था, और 5 जुलाई 2014 के बाद, उक्त आचार्य की उपाधि को संस्कृत में एम.ए. के रूप में पुनर्गठित किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, संस्कृत में एम.ए. की उपाधि को आचार्य की उपाधि के समकक्ष या पुनर्गठित न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शिफाना पी.एस. (पूर्वोक्त) के उद्धृत वाद के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समतुल्यता के मुद्दे पर न तो चयन समिति और न ही न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए विचार कर सकते हैं और यह कार्यक्षेत्र केवल इस संबंध में अधिकृत विशेषज्ञों/शैक्षणिक संस्थानों के लिए ही आरक्षित है।

22. स्पष्टतः उपर्युक्त निर्णय वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, जहां समतुल्यता और पुनर्गठन स्वयं शैक्षिक बोर्ड द्वारा किया गया है।

23. जहां तक ज़हूर अहमद राथर (पूर्वोक्त) के वाद का संबंध है, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी नियम के अभाव में, यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि उच्च योग्यता अनिवार्य रूप से किसी अन्य, भले ही निम्न, योग्यता के अधिग्रहण को पूर्व निर्धारित करती है और यह कि पद के लिए योग्यताओं का निर्धारण भर्ती नीति का मामला है, जिसे राज्य, नियोक्ता के रूप में, पात्रता की शर्त के रूप में निर्धारित करने का हकदार है।

24. यहां फिर से समतुल्यता का पहलू, जैसा कि वर्तमान वाद में है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार द्वारा नियोक्ता के रूप में पहले ही इंगित किया जा चुका है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपर्युक्त निर्णय वाद के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगा।

25. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, उपर्युक्त निर्णय वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में भी लागू नहीं होगा, और यह दोहराया जाता है कि चूंकि वर्तमान वाद में, आचार्य की उपाधि को संस्कृत में एम.ए. की उपाधि के समतुल्य या पुनर्गठित करना पहले ही नियोक्ता यानी भारत सरकार और विशेषज्ञ शैक्षणिक निकाय यानी यूजीसी द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है, इसलिए इस पहलू की न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अवसर नहीं है।

26. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों से सहमत है।

27. अतः परमादेश के रूप में एक रिट जारी की जाती है, जिसमें विपक्षीगण को उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर याचिकाकर्ता की एम.ए. संस्कृत की डिग्री को आचार्य की डिग्री के समकक्ष मानते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुए वर्ष 2023-24 की भर्ती के विज्ञापन के अनुसार आरटीजेसीओ के पद पर भर्ती/नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया जाता है।

28. इस संबंध में विपक्षीगण द्वारा विचार-विमर्श शीघ्रता से, इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी को प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

29. परिणामस्वरूप याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। दोनों पक्ष अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

30 जनवरी, 2026

प्रभात

(न्यायमूर्ति श्री मनीष माथुर)